



जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण  
अधिनियम 1969  
एवं  
मध्यप्रदेश जन्म और मृत्यु  
रजिस्ट्रीकरण  
नियम, 1999



मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म-मृत्यु  
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश  
इंटरनेट साइट <http://www.mp.nic.in> des

## प्राक्कथन

मध्यप्रदेश में जन्म-मृत्यु पंजीयन का कार्य जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की व्यवस्थाओं के अनुरूप किया जा रहा है । इस अधिनियम की धारा 30 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम-1999 बनाए गए हैं । पंजीयन कार्य के सुचारु रूप से संचालन के लिए अधिनियम एवं नियमों की आवश्यकता समय-समय पर पड़ती है । प्रस्तुत प्रकाशन में इन दोनों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है । आशा है कि पंजीयन कार्य से जुड़े विभिन्न स्तर के कार्यकर्ताओं के लिये यह प्रकाशन उपयोगी सिद्ध होगा ।

भोपाल,  
दिनांक

**पी. डी. जोशी**  
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)  
एवं  
संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी,  
मध्यप्रदेश

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969  
(1969 का अधिनियम क्र. 18)

# जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969

धाराओं का क्रम

## अध्याय 1

### प्रारम्भिक

- धाराएं
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।
  2. परिभाषाएं और निर्वचन

## अध्याय 2

### रजिस्ट्रीकरण—स्थापन

3. भारत का महारजिस्ट्रार ।
4. मुख्य रजिस्ट्रार ।
5. रजिस्ट्रीकरण खंड
6. जिला रजिस्ट्रार ।
7. रजिस्ट्रार ।

## अध्याय 3

### जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण

- धाराएं
8. जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए अपेक्षित व्यक्ति ।
  9. बागान में जन्म और मृत्यु के संबंध में विशेष उपबन्ध ।
  10. जन्म और मृत्यु की सूचना देने और मृत्यु के कारण को प्रमाणित करने का कुछ व्यक्तियों का कर्तव्य
  11. इत्तिला देने वाले का रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना ।
  12. इत्तिला देने वाले को रजिस्ट्रीकरण की प्रविष्टियों के उद्धरणों का दिया जाना
  13. जन्म और मृत्यु का विलम्बित रजिस्ट्रीकरण ।
  14. बालक के नाम का रजिस्ट्रीकरण ।
  15. जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में प्रविष्टि को ठीक या रद्ध करना ।

# जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969

## अध्याय 4

### अभिलेखों और सांख्यिकियों को रखना

16. विहित प्ररूप में रजिस्ट्रों का रजिस्ट्रारों द्वारा रखा जाना ।
17. जन्म और मृत्यु के रजिस्टर की तलाशी ।
18. रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों का निरीक्षण ।
19. कालिक विवरणियों का रजिस्ट्रारों द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार को संकलन के लिये भेजा जाना ।

## अध्याय 5

### प्रकीर्ण

20. भारत से बाहर नागरिकों के जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के बारे में विशेष उपबन्ध
21. जन्म या मृत्यु के संबंध में इत्तिला अभिप्राप्त करने की रजिस्ट्रार की शक्ति ।
22. निदेश देने की शक्ति ।
23. शास्तियां ।
24. अपराधों के प्रशमन की शक्ति ।
25. अभियोजना के लिए मंजूरी ।
26. रजिस्ट्रारों और उपरजिस्ट्रारों का लोक सेवक समझा जाना ।
27. शक्तियों का प्रत्यायोजन ।
28. सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए परित्राण ।
29. इस अधिनियम का 1886 के अधिनियम सं. 6 के अल्पीकरण में न होना ।
30. नियम बनाने की शक्ति ।
31. निरसन और व्यावृत्ति ।
32. कठिनाई दूर करने की शक्ति ।

**जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण  
अधिनियम, 1969  
(1969 का अधिनियम संख्यांक 18)**

(31 मई, 1969)

जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के विनियमन और तत्संबद्ध विषयों का  
उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

**जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969**

**अध्याय 1**

**प्रारंभिक**

1. (1) यह अधिनियम जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 कहा जा सकेगा । संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ  
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है ।  
(3) यह किसी राज्य में उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीयसरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें :  
परन्तु किसी राज्य के विभिन्न भागों के लिए विभिन्न तारीखें नियम की जा सकेंगी ।
2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, — परिभाषाएं और निर्वचन ।  
(क) "जन्म" से जीवित-जन्म या मृत-जन्म अभिप्रेत है ;  
(ख) "मृत्यु" से जीवित -जन्म हो जाने के पश्चात किसी भी समय जीवन के सब लक्षणों का स्थायी तौर पर विलोपन अभिप्रेत है ;  
(ग) "भ्रूण-मृत्यु" से गर्भाधान के उत्पाद का, गर्भ चाहे जितने समय का हो, अपनी माता से पूर्ण निष्कासन या निष्कर्षण से पूर्व जीवन के सब लक्षणों का अभाव हो जाना अभिप्रेत है;

## जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969

- (घ) "जीवित-जन्म" से गर्भाधान के ऐसे उत्पाद का, गर्भ चाहे जितने समय का हो, अपनी माता से पूर्ण निष्कासन या निष्कर्षण अभिप्रेत है, जो ऐसे निष्कासन या निष्कर्षण के पश्चात श्वास लेता है या जीवन का कोई अन्य लक्षण दर्शित करता है और ऐसे जन्म वाला प्रत्येक उत्पाद जीवित-जन्म समझा जाता है ;
- (ङ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;
- (च) किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में "राज्य सरकार" से उसका प्रशासक अभिप्रेत है ;
- (छ) "मृत-जन्म" से ऐसी भ्रूण-मृत्यु अभिप्रेत है जहां गर्भाधान का उत्पाद कम से कम विहित गर्भावधि प्राप्त कर चुका है ।
- (2) इस अधिनियम में किसी ऐसी विधि के प्रति, जो किसी क्षेत्र में प्रवृत्त नहीं है, निर्देश का उस क्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि के प्रति, यदि कोई हो, निर्देश है ।

### अध्याय 2

#### रजिस्ट्रीकरण-स्थापन

3. (1) केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति को भारत के महारजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त कर सकेगी । भारत का महारजिस्ट्रार
- (2) केन्द्रीय सरकार, ऐसे अन्य अधिकारी भी, ऐसे पदनामों से, जैसे वह ठीक समझे, महारजिस्ट्रार के इस अधिनियम के अधीन ऐसे कृत्यों के, जिनका निर्वहन करने के लिए वह उन्हें समय-समय पर प्राधिकृत करे, महारजिस्ट्रार के अधीक्षण और निदेशन के अधीन निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए, नियुक्त कर सकेगी ।
- (3) महारजिस्ट्रार उन राज्यक्षेत्रों में, जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के बारे में साधारण निदेश जारी कर सकेगा और जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के विषय में मुख्य रजिस्ट्रारों के क्रियाकलाप के समन्वय और एकीकरण के लिए कदम उठाएगा और उक्त राज्य क्षेत्रों में इस अधिनियम के कार्यान्वयन विषयक वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

## जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969

- 4 (1) राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, मुख्य रजिस्ट्रार किसी राज्य के लिए एक मुख्य रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी ।
- (2) राज्य सरकार, ऐसे अन्य अधिकारी भी, ऐसे पदनामों से, जैसे वह ठीक समझे, मुख्य रजिस्ट्रार के ऐसे कृत्यों का, जिनका निर्वहन करने के लिए वह उन्हें समय-समय पर प्राधिकृत करे, मुख्य रजिस्ट्रार के अधीक्षण और निदेशन के अधीन निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए, नियुक्त कर सकेगी ।
- (3) राज्य सरकार द्वारा दिये गये निदेशों के, यदि कोई हो, अध्यक्षीय रहते हुए मुख्य रजिस्ट्रार किसी राज्य में इस अधिनियम के उपबन्धों और तदधीन बनाए गए नियमों और किये गए आदेशों के निष्पादन के लिए मुख्य कार्यपालक प्राधिकारी होगा ।
- (4) मुख्य रजिस्ट्रार राज्य में रजिस्ट्रीकरण के कार्य के समन्वय, एकीकरण और पर्यवेक्षण के लिए समुचित अनुदेश निकाल कर या अन्यथा रजिस्ट्रीकरण की दक्ष पद्धति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा तथा उस राज्य में इस अधिनियम के कार्यान्वयन के बारे में एक रिपोर्ट, ऐसी रीति से और ऐसे अन्तरालों, पर जिन्हें विहित किया जाए, धारा 19 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट सांख्यिकीय रिपोर्ट के साथ तैयार करेगा और राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा ।
- 5 राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य के भीतर के राज्यक्षेत्र को ऐसे रजिस्ट्रीकरण खण्डों में, जिन्हें वह ठीक समझे । विभक्त कर सकेगी और विभिन्न रजिस्ट्रीकरण खण्डों के लिए विभिन्न नियम विहित कर सकेगी । रजिस्ट्रीकरण खण्ड
- 6 (1) राज्य सरकार, प्रत्येक राजस्व जिले के लिए एक जिला रजिस्ट्रार और उतने अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी जितने वह ठीक समझे और जो जिला रजिस्ट्रार के साधारण नियंत्रण और निदेशन के अध्यक्षीय रहते हुए, जिला रजिस्ट्रार के ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगें जिनका निर्वहन करने के लिए जिला रजिस्ट्रार उन्हें समय-समय पर प्राधिकृत करें । जिला रजिस्ट्रार



## जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969

- (2) मुख्य रजिस्ट्रार के निदेशन के अधीन रहते हुए, जिला रजिस्ट्रार जिले में के जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण का अधीक्षण करेगा तथा इस अधिनियम के उपबन्धों और मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए समय-समय पर निकाले गए आदेशों का निष्पादन जिले में करने के लिए उत्तरदायी होगा ।
- 7 (1) राज्य सरकार नगरपालिका, पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर का क्षेत्र समाविष्ट करने वाले प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र के लिए या किसी अन्य क्षेत्र के लिए या उनमें से दो या अधिक के समुच्चय के लिए एक रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी ; परन्तु राज्य सरकार किसी नगरपालिका, पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकारी की दशा में उसके किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त कर सकेगी । रजिस्ट्रार
- (2) प्रत्येक रजिस्ट्रार इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में धारा 8 या धारा 9 के अधीन उसे दी गई इत्तिला, फीस या इनाम के बिना दर्ज करेगा तथा अपनी अधिकारिता के भीतर होने वाले प्रत्येक जन्म और प्रत्येक मृत्यु के विषय में स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए पूरी सावधानी से कदम उठाएगा तथा रजिस्ट्रीकरण के लिए अपेक्षित विशिष्टियों के अभिनिश्चयन और रजिस्ट्रीकरण के लिए भी कदम उठाएगा ।
- (3) प्रत्येक रजिस्ट्रार का कार्यालय उस स्थानीय क्षेत्र में होगा जिसके लिए वह नियुक्त किया गया हो ।
- (4) प्रत्येक रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए अपने कार्यालय में ऐसे दिनों और ऐसे समयों पर, जिनका मुख्य रजिस्ट्रार निदेश दे, हाजिर रहेगा और रजिस्ट्रार के कार्यालय के बाहरी द्वार पर या उसके पास के किसी सहजदृश्य स्थान पर एक बोर्ड लगवाएगा जिस पर उसका नाम तथा जिस स्थानीय क्षेत्र के लिए वह नियुक्त हो उसका जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रार तथा उसकी हाजिरी के दिन और घंटे स्थानीय भाषा में लिखे होंगे ।

## जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969

- (5) मुख्य रजिस्ट्रार के पूर्व अनुमोदन से रजिस्ट्रार अपनी अधिकारिता के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के संबंध में उप-रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगा और उन्हें अपनी कोई या सभी शक्तियां और कर्तव्य सौंप सकेगा ।

### अध्याय 3

#### जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण

- 8 (1) नीचे विनिर्दिष्ट व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि वे धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विहित प्ररूपों में प्रविष्टि किए जाने के लिए अपेक्षित विभिन्न विशिष्टियों की इत्तिला अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, मौखिक या लिखित रूप में रजिस्ट्रार को दें या दिलवाएं –
- (क) खण्ड (ख) से (ड) तक में निर्दिष्ट स्थान से भिन्न किसी घर में, चाहे वह निवासीय हो या अनिवासीय, हुए जन्म और मृत्यु की बावत, उस घर का ऐसा मुखिया, या यदि उस घर में एक से अधिक गृहस्थियां निवास करती हों तो उस गृहस्थी का ऐसा मुखिया, जो उस घर या गृहस्थी द्वारा मान्य मुखिया हो और यदि किसी ऐसी कालावधि के दौरान, जिसमें जन्म या मृत्यु की रिपोर्ट की जानी हो, किसी समय ऐसा व्यक्ति घर में उपस्थित न हो तो मुखिया का वह निकटतम संबंधी जो घर में उपस्थित हो और ऐसे किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में उक्त कालावधि के दौरान उसमें उपस्थित सबसे बड़ा वयस्क पुरुष,
- (ख) किसी अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, प्रसूति या परिचर्या गृह या वैसी ही किसी संस्था में जन्म या मृत्यु की बावत, वहां का भारसाधक चिकित्सक अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति ;
- (ग) जेल में जन्म या मृत्यु की बावत, जेल का भारसाधक जेलर ;
- (घ) किसी चाबड़ी, छत्र, होस्टल, धर्मशाला, भोजनालय, वासा, पांथशाला, बैरक, ताड़ीखाना या लोक अभिगम स्थान में जन्म या मृत्यु की बावत, वहां का भारसाधक व्यक्ति ;

जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए अपेक्षित व्यक्ति ।

## जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969

- (ड) लोक स्थान में अभित्यक्त पाए गए किसी नवजात शिशु या शव की बाबत, ग्राम की दशामें ग्रामणी या ग्राम का अन्य तत्स्थानी अधिकारी और अन्यत्र स्थानीय पुलिस थाने का भारसाधक आफिसर :  
परन्तु कोई व्यक्ति जो ऐसे शिशु या शव को पाता है या जिसके भारसाधन में ऐसा शिशु या शव रखा जाए, वह उस तथ्य को उस ग्रामणी या पूर्वोक्त अधिकारी को सूचित करेगा ;
- (च) किसी अन्य स्थान में, ऐसा व्यक्ति जो विहित किया जाए ।
- (2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी रजिस्ट्रीकरण खण्ड में विद्यमान दशाओं को ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा, यह अपेक्षित कर सकेगी कि ऐसी कालावधि के लिये, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए उपधारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट घर में जन्म और मृत्यु के संबंध में इत्तिला उस खण्ड में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के बजाय वह व्यक्ति देगा जो राज्य सरकार द्वारा पदनाम से इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया गया हो ।

9

किसी बागान में जन्म और मृत्यु की दशा में उस बागान का अधीक्षक धारा 8 में निर्दिष्ट इत्तिला रजिस्ट्रार को देगा या दिलवाएगा :

बागान में जन्म और मृत्यु के संबंध में विशेष उपबंध

परन्तु धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (च) तक में निर्दिष्ट व्यक्ति उस बागान के अधीक्षक को आवश्यक विशिष्टियां देंगे ।

**स्पष्टीकरण**— इस धारा में “बागान” के पद से चार हेक्टर से अन्यून विस्तार की ऐसी भूमि अभिप्रेत है जो चाय, काफी, कालीमिर्च, रबड़, इलायची, सिनकोना या ऐसे अन्य उत्पादों को, जो राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, उपजाने के लिए तैयार की जा रही है या जिसमें ऐसी उपज वस्तुतः होती है तथा “बागान का अधीक्षक” पद से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो बागान के श्रमिकों या बागान के कार्य का भार या अधीक्षण रखता हो, चाहे वह प्रबन्धक, अधीक्षक या किसी अन्य नाम से पुकारा जाता हो ।

## जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969

- 10 (1) (i) जन्म या मृत्यु के समय उपस्थित दाईं या किसी अन्य चिकित्सीय या स्वास्थ्य परिचारक का जन्म और मृत्यु की सूचना देने और मृत्यु के कारण को प्रमाणित करने का कुछ व्यक्तियों का कर्तव्य
- (ii) शवों के व्ययन के लिए अलग कर दिए गए किसी स्थान के प्रबंधक या स्वामी या ऐसे स्थान पर उपस्थित रहने के लिए स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित किसी व्यक्ति का, अथवा
- (iii) किसी अन्य व्यक्ति का, जिसे राज्य सरकार उसके पदनाम से इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें, यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक ऐसे जन्म या मृत्यु या दोनों की, जिसमें उसने परिचर्या की हो या वह उपस्थित था, या जो ऐसे क्षेत्र में, जैसा विहित किया जाए, हुई है, सूचना रजिस्ट्रार को इतने समय के भीतर और ऐसी रीति से दे जिसे विहित किया जाए ।
- (2) किसी क्षेत्र में इस निमित्त प्राप्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार यह अपेक्षा कर सकेगी कि मृत्यु के कारण का प्रमाण पत्र, ऐसे व्यक्ति से और ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, रजिस्ट्रार द्वारा अभिप्राप्त किया जाएगा ।
- (3) जहां राज्य सरकार ने उपधारा (2) के अधीन यह अपेक्षा की हो कि मृत्यु के कारण का प्रमाण पत्र अभिप्राप्त किया जाए वहाँ उस व्यक्ति की मृत्यु की दशा में, जो अपनी अंतिम बीमारी के दौरान किसी चिकित्सा व्यवसायी की परिचर्या में था, उस व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् तत्काल वह चिकित्सा-व्यवसायी कोई फीस लिए बिना ऐसे व्यक्ति, को जो इस अधिनियम के अधीन किसी मृत्यु से संबद्ध इत्तिला देने के लिए अपेक्षित हो, मृत्यु के कारण के बारे में, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार कथन करते हुए, प्रमाण पत्र देगा, और ऐसा व्यक्ति वह प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा और इस अधिनियम की अपेक्षानुसार मृत्यु से संबद्ध इत्तिला देते समय रजिस्टर को परिदत्त करेगा ।

## जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969

- 11 प्रत्येक व्यक्ति, जिसने रजिस्ट्रार को इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित कोई इत्तिला मौखिक रूप में दी हो, इस निमित्त रखे गए रजिस्टर में अपना नाम, वर्णन और निवास-स्थान लिखेगा तथा यदि वह लिख नहीं सकता है तो रजिस्टर में अपने नाम, वर्णन और निवास-स्थान के सामने अपना अंगुष्ठ-चिन्ह लगाएगा और ऐसी दशा में वे विशिष्टियां रजिस्ट्रार द्वारा लिखी जाएंगी । इत्तिला देने वाले का रजिस्टर पर हस्ताक्षर करना
- 12 जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण पूर्ण होते ही, रजिस्ट्रार रजिस्टर में से उस जन्म या मृत्यु से संबंधित विहित विशिष्टियों का अपने हस्ताक्षर सहित उद्धरण उस व्यक्ति को मुफ्त देगा जिसने धारा 8 या धारा 9 के अधीन इत्तिला दी । इत्तिला देने वाले को रजिस्ट्रीकरण की प्रविष्टियों के उद्धरणों का दिया जाना
- 13 (1) जिस जन्म या मृत्यु की इत्तिला तदर्थ विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पश्चात्, किन्तु उसके होने के तीस दिन के भीतर, रजिस्ट्रार को दी जाए वह ऐसी विलम्ब-फीस, जो विहित की जाए, दिये जाने पर रजिस्ट्रीकृत की जाएगी । जन्म और मृत्यु का विलंबित रजिस्ट्रीकरण
- (2) जिस जन्म या मृत्यु की विलम्बित इत्तिला उसके होने के तीस दिन के पश्चात्, किन्तु एक वर्ष के भीतर, रजिस्ट्रार को दी जाए वह विहित प्राधिकारी की लिखित अनुज्ञा से और विहित फीस दिए जाने तथा नोटरी पब्लिक या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के समक्ष शपथित शपथ-पत्र के पेश किए जाने पर ही रजिस्ट्रीकृत की जाएगी ।
- (3) जो जन्म या मृत्यु, होने के एक वर्ष के भीतर रजिस्ट्रीकृत नहीं की गई हो, वह उस जन्म या मृत्यु की शुद्धता का सत्यापन करने के पश्चात् प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश पर और विहित फीस दिए जाने पर ही रजिस्ट्रीकृत की जाएगी ।
- (4) इस धारा के उपबन्ध ऐसी किसी कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेंगे जो किसी जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण उसके लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर कराने में किसी व्यक्ति के असफल रहने पर उसके विरुद्ध की जा सकती हो और ऐसे किसी जन्म या मृत्यु को ऐसी किसी कार्यवाही के लम्बित रहने के दौरान रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा ।

## जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969

- 14 जहां किसी बालक का जन्म नाम के बिना रजिस्ट्रीकृत किया गया हो वहां ऐसे बालक की माता या पिता या संरक्षक बालक के नाम के संबंध में इत्तिला, या तो मौखिक या लिखित रूप में, रजिस्ट्रार को विहित कालावधि के भीतर देगा और तब रजिस्ट्रार ऐसे नाम को रजिस्टर में दर्ज करेगा और प्रविष्टि को आद्यक्षरित करेगा और उस पर तारीख डालेगा । बालक के नाम का रजिस्ट्रीकरण
- 15 यदि रजिस्ट्रार को समाधान प्रदान करने वाले रूप में यह साबित कर दिया जाए कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा रखे गए रजिस्टर में जन्म या मृत्यु की कोई प्रविष्टि प्ररूपतः या सारतः गलत है अथवा कपटपूर्वक या अनुचित तौर पर की गई है तो वह ऐसे नियमों के अध्याधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा, ऐसी शर्तों के बाबत जिनपर और ऐसी परिस्थितियों के बाबत जिनमें ऐसी प्रविष्टियों को ठीक या रद्द किया जा सकेगा, बनाये जाएं, मूल प्रविष्टि में कोई परिवर्तन किये बिना पार्श्व में यथोचित प्रविष्टि करके उस प्रविष्टि की गलती को ठीक कर सकेगा या उस प्रविष्टि को रद्द कर सकेगा तथा पार्श्व-प्रविष्टि पर अपने हस्ताक्षर करेगा और उसमें ठीक या रद्द करने की तारीख जोड़ देगा । जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में प्रविष्टि को ठीक या रद्द करना

### अध्याय 4

#### अभिलेखों और सांख्यिकियों को रखना

- 16 (1) प्रत्येक रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकरण क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिये, जिसके संबंध में वह अधिकारिता का प्रयोग करता हो, विहित प्ररूप में जन्म या मृत्यु का रजिस्टर रखेगा । विहित प्ररूप में रजिस्ट्रारों का रजिस्ट्रारों द्वारा रखा जाना ।
- (2) मुख्य रजिस्ट्रार ऐसे प्ररूपों और अनुदेशों के अनुसार, जो समय-समय पर विहित किये जाएं, जन्म और मृत्यु की प्रविष्टियां करने के लिये पर्याप्त संख्या में रजिस्टर छपवाएगा और प्रदाय कराएगा ; तथा ऐसे प्ररूपों की स्थानीय भाषा में एक प्रति प्रत्येक रजिस्ट्रार के कार्यालय के बाह्य द्वार पर या उसके निकट किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाई जाएगी ।

## जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969

- 17 (1) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गये किन्ही नियमों के अधीन रहते हुए, जिनके अन्तर्गत फीस और डाक-महसूल के संदाय से सम्बद्ध नियम भी हैं, कोई व्यक्ति जन्म और मृत्यु के रजिस्टर की तलाशी
- (क) जन्म और मृत्यु के रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की रजिस्ट्रार द्वारा तलाश करवा सकेगा ; तथा
- (ख) ऐसे रजिस्टर में से किसी जन्म या मृत्यु से सम्बद्ध कोई उद्धरण अभिप्राप्त कर सकेगा :
- परन्तु किसी व्यक्ति को दिया गया मृत्यु संबंधी कोई उद्धरण, मृत्यु का रजिस्टर में प्रविष्टि कारण प्रकट नहीं करेगा ।
- (2) इस धारा के अधीन दिये गये सभी उद्धरण भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 76 के उपबंधों के अनुसार, रजिस्ट्रार द्वारा या किसी अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे ऐसे उद्धरण देने के लिये राज्य सरकार ने प्राधिकृत किया हो, प्रमाणित किये जायेंगे और उस जन्म या मृत्यु को, जिससे वह प्रविष्टि संबद्ध हो, साबित करने के प्रयोजन के लिये साक्ष्य में ग्राह्य होंगे ।
- 18 रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों का निरीक्षण और उनमें रखे गये रजिस्ट्रारों की परीक्षा ऐसी रीति से, और ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसे जिला रजिस्ट्रार विनिर्दिष्ट करे, किया जाएगा । रजिस्ट्रीकरण कार्यालय का निरीक्षण
- 19 (1) प्रत्येक रजिस्ट्रार मुख्य रजिस्ट्रार को या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी को ऐसे अंतरालों पर और ऐसे प्ररूप में, जो विहित किये जाएं, उस रजिस्ट्रार द्वारा रखे गये रजिस्टर की जन्म और मृत्यु की प्रविष्टियों के बारे में एक विवरणी भेजेगा । कालिक विवरणियों का रजिस्ट्रारों द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार को संकलन के लिये भेजा जाना
- (2) मुख्य रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रारों द्वारा विवरणियों में दी गई इत्तिला का संकलन कराएगा और वर्ष के दौरान रजिस्ट्रीकृत जन्म और मृत्यु की सांख्यिकीय रिपोर्ट ऐसे अन्तरालों पर और ऐसे प्ररूप में, जो विहित किये जाएं, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित करेगा ।

# जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969

## अध्याय 5

### प्रकीर्ण

- 20 (1) उन नियमों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, महारजिस्ट्रार भारत के नागरिकों के भारत से बाहर जन्म और मृत्यु विषयक ऐसी इत्तिला रजिस्ट्रीकृत कराएगा जो उसे नागरिकता अधिनियम 1955 (1955 का 57) के अधीन बनाए गए और भारतीय काउंसिल कार्यालयों में ऐसे नागरिकों के रजिस्ट्रीकरण संबंधी नियमों के अधीन प्राप्त हो और प्रत्येक ऐसा रजिस्ट्रीकरण भी इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप में किया गया समझा जाएगा ।
- भारत के बाहर नागरिकों के जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के बारे में विशेष उपबन्ध
- (2) भारत से बाहर जन्में ऐसे बालक की दशा में, जिसकी बाबत उपधारा (1) में यथा उपबन्धित इत्तिला प्राप्त न हुई हो, यदि बालक के माता-पिता भारत में बसने की दृष्टि से भारत वापस आए तो वे बालक के भारत पहुंचने की तारीख से साठ दिन के भीतर किसी भी समय, बालक का जन्म इस अधिनियम के अधीन उसी रीति से रजिस्ट्रीकृत करा सकेंगे मानो बालक का जन्म भारत में हुआ था और धारा 13 के उपलब्ध ऐसे बालक के जन्म को पूर्वोक्त साठ दिन की कालावधि के अवसान के पश्चात् लागू होंगे ।
- 21 रजिस्ट्रार किसी व्यक्ति से, या तो मौखिक या लिखित रूप से, यह अपेक्षा कर सकेगा कि जिस परिक्षेत्र में वह व्यक्ति निवास करता है उसमें हुए जन्म या मृत्यु संबंधी कोई इत्तिला जो उसे है, वह उसे दे और वह व्यक्ति ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा ।
- जन्म या मृत्यु के संबंध में इत्तिला अभिप्राप्त करने की रजिस्ट्रार की शक्ति
- 22 केन्द्रीय सरकार किसी राज्य सरकार को ऐसे निदेश दे सकेंगी जो इस अधिनियम के या तदधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए किसी आदेश के उपबन्धों में से किसी का उस राज्य में निष्पादन करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों ।
- निदेश देने की शक्ति



## जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969

23

(1) कोई व्यक्ति जो

शास्तियां

- (क) धारा 8 और 9 के किन्हीं उपबन्धों के अधीन ऐसी इत्तिला, जिसे देना उसका कर्तव्य है, देने में युक्तियुक्त कारण के बिना असफल रहेगा, अथवा
- (ख) जन्म और मृत्यु के किसी रजिस्टर में लिखे जाने के प्रयोजन से कोई ऐसी इत्तिला देगा या दिलवाएगा जिसे वह जानता है या विश्वास करता है कि वह उन विशिष्टियों में से किसी के बारे में मिथ्या है जिन्हें जानना और जिनका रजिस्ट्रीकृत किया जाना अपेक्षित है ; अथवा
- (ग) धारा 11 द्वारा अपेक्षित रूप से रजिस्टर में अपना नाम, वर्णन और निवास-स्थान लिखने या अपना अंगुष्ठ-चिन्ह लगाने से इन्कार करेगा, वह जुर्माने से, जो पचास रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।
- (2) कोई रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार जो अपनी अधिकारिता में होने वाले किसी जन्म या मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण में या धारा 19 की उप धारा (1) द्वारा अपेक्षित विवरणियां भेजने में उपेक्षा या उससे इन्कार, युक्तियुक्त कारण के बिना, करेगा वह जुर्माने से जो पचास रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।
- (3) कोई चिकित्सा-व्यवसायी, जो धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन प्रमाण पत्र देने में उपेक्षा या उससे इन्कार करेगा और कोई व्यक्ति जो ऐसा प्रमाण पत्र परिदत्त करने में उपेक्षा या उससे इन्कार करेगा वह जुर्माने से, जो पचास रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।
- (4) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के किसी ऐसे उपबन्ध का, युक्तियुक्त कारण के बिना, उल्लंघन करेगा, जिसके उल्लंघन के लिए इस धारा में किसी शक्ति का उपबन्ध नहीं है, वह जुर्माने से, जो दस रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।
- (5) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) में किसी बात के होते हुये भी, इस धारा के अधीन अपराध का विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षेपतः किया जाएगा ।

## जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969

- 24 (1) ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी इस अधिनियम के अधीन किन्हीं दण्डक कार्यवाहियों के संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात्, किसी व्यक्ति से, जिसने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया हो या जिस पर अपराध करने का युक्तियुक्त संदेह हो, उस अपराध के प्रशमन के तौर पर पचास रूपये से अनधिक धनराशि प्रतिगृहित कर सकेगा ।
- (2) ऐसी धनराशि दे देने पर वह व्यक्ति उन्मोचित कर दिया जाएगा और ऐसे अपराध की बाबत उसके विरुद्ध कोई आगे कार्यवाही नहीं की जाएगी ।
- 25 इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन, मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही संस्थित किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।
- 26 संभी रजिस्ट्रार और उपरजिस्ट्रार, जब वे इस अधिनियम या तदधीन बनाएं गए किसी नियम या किए गए किसी आदेश के उपबन्धों के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या कार्य करते तात्पर्यित हों, भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे ।
- 27 राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य कोई शक्ति (जो धारा 30 के अधीन नियम बनाने की शक्ति से भिन्न हो) ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, जो निदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, अध्यक्षीन रहते हुए, राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी, जो निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रयोक्तव्य होंगी ।
- अपराधों के प्रशमन की शक्ति
- अभियोजना के लिए मंजूरी
- रजिस्ट्रारों और उप रजिस्ट्रारों का लोक सेवक समझा जाना

## जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969

- 28 (1) इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही सरकार के, महारजिस्ट्रार के, किसी रजिस्ट्रार के, या किसी अन्य व्यक्ति के, जो इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग या किसी कर्तव्य का पालन कर रहा हो, विरुद्ध न होगी ।
- (2) कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से हुए या होने से संभाव्य किसी नुकसान के लिए सरकार के विरुद्ध नहीं होगी ।
- 29 इस अधिनियम की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886 के उपबन्धों के अल्पीकरण में है ।
- इस अधिनियम का 1886 अधिनियम सं. 6 के अल्पीकरण में न होना
- 30 (1) केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी ।
- नियम बनाने की शक्ति
- (2) विशिष्टतः और पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे –
- (क) इस अधिनियम के अधीन रखे जाने के लिए अपेक्षित जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रारों के प्ररूप ;
- (ख) वह कालावधि जिसके भीतर तथा वह प्ररूप और रीति जिसमें रजिस्ट्रार को धारा 8 के अधीन इत्तिला दी जानी चाहिये ;
- (ग) यह कालावधि जिसके भीतर और वह रीति जिससे धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन जन्म और मृत्यु की सूचना दी जाएगी ;

## जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969

- (ध) वह व्यक्ति जिससे और वह प्ररूप जिसमें मृत्यु के कारण का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया जाएगा ;
- (ड.) वे विशिष्टियां जिनका उद्धरण धारा 12 के अधीन दिया जा सकेगा ;
- (च) वह प्राधिकारी जो धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन जन्म या मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण की अनुज्ञा दे सकेगा ;
- (छ) धारा 13 के अधीन किये गए रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय फीसें ;
- (ज) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा रिपोर्टों का प्रस्तुत किया जाना ;
- (झ) जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रों की तलाशी और ऐसी तलाशी के लिए तथा रजिस्ट्रों में से उद्धरण दिए जाने के लिए फीसें ;
- (त्र) वे प्ररूप जिनमें और वे अन्तराल जिन पर विवरणियां और सांख्यिकीय रिपोर्ट धारा 19 के अधीन दी और प्रकाशित की जाएगी ;
- (ट) रजिस्ट्रारों द्वारा रखे जाने वाले रजिस्ट्रों और अन्य अभिलेखों की अभिरक्षा, उनका पेश किया जाना और अन्तरण ;
- (ठ) जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में गलतियों को ठीक करना और उनकी प्रविष्टियों को रदद करना ;
- (ड) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या किया जाए ।

- 31 (1) धारा 29 के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए यह है कि किसी राज्य या उसके भाग में प्रवृत्त विधि का उतना अंश, जितने का संबंध इस अधिनियम के अन्तर्गत विषयों से है, उस राज्य या भाग में इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के समय से, यथास्थिति, उस राज्य या भाग में निरसित हो जाएगा ।

निरसन और व्यवृत्ति

## जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969

- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, ऐसी किसी विधि के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाही (जिसके अन्तर्गत, निकाला गया कोई अनुदेश या निदेश, बनाया गया कोई विनियम या नियम या किया गया कोई आदेश भी है), जहां तक ऐसी बात या कार्यवाही इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, पूर्वोक्त उपबंधों के अधीन ऐसे की गई समझी जाएगी मानों वे उस समय प्रवृत्त थे जब वह बात या कार्यवाही की गई थी और तदानुसार तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक वह इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या कार्यवाही द्वारा अतिष्ठित न कर दी जाए ।

32

यदि इस अधिनियम के उपबंधों को किसी राज्य में प्रभावशील करने में कोई कठिनाई, उनके किसी क्षेत्र में लागू करने में उद्भूत होती है तो केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, आदेश द्वारा, राज्य सरकार ऐसे उपबंध कर सकेगी या ऐसे निदेश दे सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए राज्य सरकार को आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों ;

कठिनाई दूर करने की शक्ति

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश किसी राज्य के किसी क्षेत्र के संबंध में उस तारीख से, जब यह अधिनियम उस क्षेत्र में प्रवृत्त हो, दो वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

## अधिनियम का लागू होना

1. यह अधिनियम निम्नलिखित क्षेत्रों में 1-1-1970 से प्रदत्त हुआ ; देखिए अधिसूचना सं. साधारण कानूनी नियम 514, तारीख 21-3-1970, भारत का राजपत्र (अंग्रजी), असाधारण, भाग-2 अनुभाग 3 (i), पृष्ठ 377 :-

(1) निम्नलिखित के सिवाय सम्पूर्ण आसाम राज्य में -

- (i) संयुक्त खांसी - जयंतीया पहाड़ी जिला, किन्तु -
  - (क) शिलांग नगरपालिका में समाविष्ट की सीमाओं को छोड़कर ;
  - (ख) शिलांग छावनी में समाविष्ट क्षेत्रों की सीमाओं को छोड़कर ;
- (ii) संपूर्ण गारी पहाड़ी जिला ;
- (iii) संपूर्ण संयुक्त मिकिर तथा उत्तरी कछार पहाड़ी जिले ;
- (iv) संपूर्ण मिजो पहाड़ी जिले ।

(2) निम्नलिखित के सिवाय सम्पूर्ण पश्चिम बंगाल में -

- (i) कलकत्ता निगम में समाविष्ट क्षेत्र की सीमाओं को छोड़कर ;
- (ii) हावड़ा नगर पालिका में समाविष्ट क्षेत्र की सीमाओं को छोड़कर ;
- (iii) फोर्ट विलियम ; और
- (iv) बैरकपुर, लेबोंग और जलपहाड़ छावनियों में समाविष्ट क्षेत्र की सीमाओं छोड़कर ।

2. यह अधिनियम निम्नलिखित राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के संपूर्ण भाग में 1-4-1970 से प्रवृत्त हुआ ; देखिए अधिसूचना सं. साधारण कानूनी नियम 461, तारीख 7-3-1970, भारत का राजपत्र (अंग्रजी), असाधारण, भाग-2 अनुभाग 3 (i), पृष्ठ 966 :-

### राज्य

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1. आंध्र प्रदेश | 8. मैसूर        |
| 2. बिहार        | 9. उड़ीसा       |
| 3. गुजरात       | 10. पंजाब       |
| 4. हरियाणा      | 11. राजस्थान    |
| 5. केरल         | 12. तमिलनाडु    |
| 6. मध्यप्रदेश   | 13. उत्तरप्रदेश |
| 7. महाराष्ट्र   |                 |

### संघ राज्यक्षेत्र

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. चण्डीगढ़            | 3. हिमाचल प्रदेश                           |
| 2. दादरा और नागर हवेली | 4. लक्काद्वीप, मिनिक्कीय ओर अमीनदीवी द्वीप |

3. यह अधिनियम दिल्ली संघ राज्य क्षेत्रा में 1-7-1970 से प्रवृत्त हुआ ; देखिए अधिसूचना सं. साधारण कानूनी नियम 973, तारीख 26-6-1970, भारत का राजपत्र (अंग्रजी), असाधारण, भाग-2 अनुभाग 3 (i), पृष्ठ 585 :-

4. यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर राज्य में 1-10-1970 से प्रवृत्त हुआ ; देखिए अधिसूचना सं. साधारण कानूनी नियम 1718, तारीख 22-9-1970, भारत का राजपत्र (अंग्रजी), असाधारण, भाग-2 अनुभाग 3 (i), पृष्ठ 727 :-

1. उधमपुर जिले में रामनगर पुलिस स्टेशन की अधिकारिता में समाविष्ट क्षेत्र ।
2. बारामुला जिले में कूपड़वारा पुलिस स्टेशन की अधिकारिता में समाविष्ट क्षेत्र ।
3. जम्मू और श्रीनगर नगरपालिकाओं में समाविष्ट क्षेत्रों की सीमाओं में ।
4. अनंतनाग, कथुआ और लेह की शहरी क्षेत्र समितियों में समाविष्ट क्षेत्र की सीमाओं में ।

5. इस अधिनियम का विस्तार 13-9-76 से सिक्किम राज्य पर किया गया । देखिए अधिसूचना सं. कानूनी आदेश 3465, तारीख 21-9-76 ।